संख्याः I 670/XXIV-3/17/02(74)2016

प्रेषक,

कै0 आलोक शेखर तिवारी,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 21 दिसम्बर, 2017

विषयः **समेकित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2014–15 की देनदारी के भुगतान हेतु आवर्तक मदों में राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्रांकः अर्थ–1/13270/5क–1/(09)/2017–18, दिनांकः 03 अगस्त, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय संलग्न परिशिष्ट–'अ' की तालिका के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वित्तीय वर्ष 2014–15 की देनदारी के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि तथा शासनादेश संः 1358/XXIV-3/17/02(74)2016, दिनांकः 12 अक्टूबर, 2017 द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश क्रमशः रूपये 100.00 लाख एवं 50.38 लाख, कुल धनराशि रू0 150.38 लाख के सापेक्ष अनुदान सं0–11 एवं 30 में राज्यांश की धनराशि क्रमशः रू0 33.33 लाख तथा रू0 16.79 लाख, इस प्रकार कुल रूपये **50.12 लाख (रूपये पचास लाख बारह हजार मात्र)** की धनराशि को निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 610/3(150)XXVII(1)/2017, दिनांकः 30 जून, 2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2013, दिनांकः 28 मार्च, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार धनराशि का पृथक आवंटन/अलाटमेंट आई0डी0 के अंतर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। आवश्यक धनराशि आहरण/व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि भारत सरकार के उपरोक्त पत्रों में प्रदत्त निर्देशों/प्रतिबन्धों के अनुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में स्वीकृत कुल धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के अनुरूप अनुमन्य मदों पर किया जायेगा।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोडी जाय।

(5) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/**XIV**–219(2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(6) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों/शर्तों के आलोक में शासन के वर्तमान वित्तीय व प्रशासकीय नियमों एवं

आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(7) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बज़ट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(8) किसी भी शासकीय व्यय हेतु जहां कही आवश्यक हो, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन अधिनियम) वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्यय संबंधी नियम (बज़ट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैन्यूवल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(10) मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशष रूप से पालन किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण कर धनराशि राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद् को उपलब्ध करायी जायेगी।

(12) कुल स्वीकृत धनराशि का उपयोग के पश्चात स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि स्वीकृत धनराशि में से व्यय करने के पश्चात धनराशि अवशेष बचती है तब शासन को अवगत कराया जायेगा।

4– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में संलग्नक परिशिष्ट–'अ' की तालिका में उल्लिखित अनुदान संख्या 11 एवं 30 के लेखाशीर्षक की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 108(म0)/XXVII(3)/2017–18, दिनांकः 30 नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कै0 आलोक शेखर तिवारी)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1670 /XXIV-3/17/02(74)2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. बज़ट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
8. वित्त विभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं 23–लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महिमा)
उप सचिव।

परिशिष्ट–'अ'

शासनादेश संख्याः/ 670 /XXIV-3/17/02(66)2011 दिनांकः 2/ दिसम्बर, 2017 का संलग्नक

(रूपये लाख में)

क्र0 सं0	अनुदान सं0	लेखाशीर्षक	मानक मद	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	11	2202–सामान्य शिक्षा 02–माध्यमिक शिक्षा 109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय 01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित 0103–राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान(RMSA 90प्रति.के.स.)	20–सहायक अनुदान / अंशदान / राजसहायता	33.33
2	30	2202–सामान्य शिक्षा 02–माध्यमिक शिक्षा 109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय 01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित 0101–राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	20–सहायक अनुदान / अंशदान / राजसहायता	16.79
			योग	50.12

(राज्यांश रूपये पचास लाख बारह हजार मात्र)

(महिमा)
उप सचिव।